(27)
3184

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2008/श्रावण 31, 1930
No. 301] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2008/SRAVANA 31, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2008
(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जनवादी गणराज्य (चीन पीआर) तथा चीनी ताइपेई (ताईवान) से प्लास्टिक ऑप्थेल्मिक लेंसों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा ।

सं. 15/18/2008-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क का आकलन और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 8 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं. 14/16/2002-डीजीएडी के तहत अनंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और दिनांक 5 सितम्बर, 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 139/2003 के तहत भारत सरकार द्वारा यह अनंतिम शुल्क लगाया गया था । प्राधिकारी ने चीन जन. गण. (चीनी पीआर) तथा चीनी ताइपेई (ताईवान) (जिन्हें एतद्पश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित प्लास्टिक ऑप्थेल्मिक लेंसों (इसके बाद जिन्हें संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणाम 25 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. 14/16/2002 में जारी किए और दिनांक 19 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना सं 55/2004-सीमाशुल्क के तहत भारत सरकार द्वारा यह निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया ।

2. समीक्षा तथा जांच की शुरुआत हेतु अनुरोध

और, यतः, वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1975 के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि पहले समाप्त नहीं किया गया हो, लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर नहीं लगाया जाएगा और उपरोक्त नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करना अपेक्षित है ।

और, यतः, पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के चार वर्ष की समाप्ति पर घरेलू उद्योग को यह सूचित करते हुए एक चेतावनी पत्र भेजा गया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी यह जाँच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की स्थिति में पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा दोबारा होने की संभावना है, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) के अंतर्गत निर्णायक समीक्षा करने पर विचार कर रहे हैं तथा उनसे संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और पाटन से संबंधित प्रमाण, यदि कोई हो तथा इस मामले में पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के प्रभाव के संबंध में पूर्ण जानकारी देने का अनुरोध किया गया था ।

और, यतः, मै. टेकट्रान पॉलिलॅसेज लि., हैदराबाद तथा इंडियन प्लास्टिक ऑप्थेल्मिक लॅसेज एसोसिएशन (आईपीओएलए), कर्नाटक जिसके अन्य सदस्य मै. टेकट्रान पॉलिलॅसेज लि., हैदराबाद; मै. इंडियन ऑप्थेल्मिक लॅसेज मैन्युफैक्चरिंग कं. प्रा. लि., कर्नाटक तथा मै. प्रकाश प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (मद्रास) प्रा. लि., चेन्नई हैं, ने निर्णायक समीक्षा के लिए अभी तक विधिवत प्रमाणित याचिका दायर नहीं की है ।

और, यतः, दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 1-11-2007 के निर्णय के तहत रिट याचिका (सिविल) सं. 16893/06 में कहा है कि

"(क) निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है

(ख) निर्णायक समीक्षा नियमावली के नियम 23 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जानी अपेक्षित है ।"

दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य (चीन पीआर) तथा

चीनी ताइपेई (ताईवान) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित प्लास्टिक ऑप्थेल्मिक लेंसों के आयातों पर शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा दोबारा होने की संभावना का पता लगाने के लिए एतद्द्वारा इस निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं ।

3. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु :

मौजूदा जाँच एक निर्णायक समीक्षा है तथा विचाराधीन उत्पाद मूल जाँच में परिभाषित उत्पाद के सदृश रहेगा और प्लास्टिक ऑप्थेल्मिक लेंसों के सभी प्रकार उसमें शामिल हैं । वर्तमान निर्णायक समीक्षा में शामिल उत्पाद संबद्ध देशों के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित प्लास्टिक ऑप्थेल्मिक लेंस (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम (सीमाशुल्क शीर्ष 9001.50) के अध्याय 90 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है । इंसानों की दृष्टि को ठीक करने के लिए चश्मों में प्लास्टिक ऑप्थेल्मिक लेंसों का प्रयोग किया जाता है । यह लेंस तैयार, बिना कटे रूप में तथा चश्मे के फ्रेम में लगाने के लिए तैयार होते हैं । यह लेंस बिस एलाइल डाई-कार्बोनेट से बने होते हैं जिसे साधारणत: सीआर-39 के नाम से जाना जाता है और इसका अपवर्तनांक 1.498 तथा एबे संख्या 50 धनात्मक है ।

मूल जाँच के अनुसार संबद्ध वस्तु का विनिर्माण मै. टेकद्रान पॉलिलेंसेज लि., हैदराबाद; मै. इंडियन ऑप्थेल्मिक लेंसेज मैन्युफैक्चरिंग कं. प्रा. लि., कर्नाटक तथा मै. प्रकाश प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (मद्रास) प्रा. लि., चेन्नई द्वारा किया जाता है ।

विचाराधीन संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तु के समान है । नियमावली के अर्थानुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों/भू-भागों से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

4. शामिल देश

वर्तमान निर्णायक समीक्षा में शामिल देश चीन जन. गण. (चीन पीआर) और चीनी ताइपेई (ताईवान) (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश भी कहा गया है) हैं ।

5. जांच अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि । अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक है । तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा जांच अवधि शामिल होगी ।

6. प्रक्रिया :

दिनांक 25 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं 14/16/2002-डीजीएडी द्वारा जारी अंतिम परिणामों तथा दिनांक 19 अप्रैल, 2004 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 55/2004 द्वारा लागू अंतिम शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा दोबारा होने की संभावना की समीक्षा करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ *(संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं* की पहचान, उन पर शुल्क का आकलन, संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार एतद्द्वारा जाँच की शुरुआत करते हैं । इस समीक्षा में दिनांक 25 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. 14/16/2002-डीजीएडी (मूल जांच के अंतिम परिणाम) के सभी पहलू शामिल हैं । प्राधिकारी का प्रस्ताव उपर्युक्त नियमावली के अनुसार घरेलू उत्पादकों को उपरोक्त पैराग्राफ 3 में यथा उल्लिखित घरेलू उद्योग के रूप में मानने का है क्योंकि वह भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है ।

7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात संबद्ध आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने को लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
कमरा नं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110107

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर तथा निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है ।

8. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना तथा सुनवाई संबंधी अनुरोध इस प्रकार भिजवाया जाए, ताकि वह निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जाए । यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

9. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना :

नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे प्राधिकारी को प्रदत्त गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता हो, तो उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण :

नियम 6(7) के अनुसरण में कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है । ऐसे मामले में, जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकारी आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करता अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हों ।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2008

(SUNSET REVIEW)

Sub: Sunset Review of Anti-Dumping investigations concerning import of Plastic Ophthalmic Lenses from People's Republic of China (China PR) and Chinese Taipei (Taiwan).

No. 15/18/2008-DGAD.— Whereas the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional duty vide Notification No. 14/16/2002-DGAD dated 8th August, 2003 and such provisional duty was imposed by the Govt. of India vide Customs Notification No. 139/2003 dated 5th September, 2003. The Authority issued its Final Findings recommending imposition of definitive Anti-dumping Duty on imports of Plastic Ophthalmic Lenses (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from People's Republic of China (China PR) and Chinese Taipei (Taiwan) (hereinafter referred as subject countries), vide Notification No. 14/16/2002-DGAD dated 25th February, 2004 and such definitive duty was imposed by the Govt. of India vide Customs Notification No. 55/2004 dated 19th April, 2004.

2. Request for Review and Initiation:

And whereas in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1975 as amended in 1995 the Anti Dumping Duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Rules supra require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti-dumping Duty.

And whereas following the completion of 4 years of the anti-dumping duty imposed, an alert letter was sent to the domestic industry stating that the Designated Authority is contemplating to undertake Sunset Review under Section 9A(5) of Customs Act with a view to ascertain whether the cessation of the anti dumping duty in this case is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and they were requested to give full information regarding extent of imports from subject countries and evidence relating to dumping, if any, and impact of cessation of the anti-dumping duty in this case.

And whereas M/s. Techtran Polylenses Limited, Hyderabad and Indian Plastic Ophthalmic Lenses Association (IPOLA), Karnataka whose other members are M/s. Techtran Polylenses Limited, Hyderabad, M/s Indian Opthalmic Lenses Manufacturing Co. Pvt. Ltd, Karnataka and M/s. Prakash Plastic Industries (Madras) Pvt. Ltd., Chennai have so far not filed duly substantiated petition for Sunset Review.

And whereas the Hon'ble High Court of Delhi in Writ Petition (Civil) No. 16893/06 vide Judgement dated 1-11-2007 has held that

"(a) Sunset Review is mandatory.

(b) Sunset Review is required to be conducted in accordance with the procedure laid down in Rule 23 of the rules".

Pursuant to the above said Order of the Hon'ble High Court of Delhi, the Authority hereby initiates this Sunset Review investigation to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury on imports of Plastic Ophthalmic Lenses originating in or exported from People's Republic of China (China PR) and Chinese Taipei (Taiwan) in the event of cessation of the duty.

3. Product under consideration and Like Article:

The present investigation is a Sunset Review and the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation and covers all types of Plastic Ophthalmic Lenses. The product involved in the present Sunset Review is Plastic Opthalmic Lenses (also referred as subject goods hereinafter) originating in or exported from the subject countries and classified under Chapter 90 of the Custom Tariff Act (Custom Head 9001.50). The classification, is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. The Plastic Opthalmic Lenses are used in spectacles to correct eye vision of human beings. These lenses are in finished, uncut form, ready to mount in spectacle frames. The lenses are made out of Bis Allyl Di-carbonate, generically known as CR-39 with Refractive Index of 1-4-8 and Abbe number of 50 plus.

As per the original investigations, the subject goods are manufactured by M/s Techtran Polylenses Limited, Hyderabad, M/s. Indian Ophthalmic Lenses Manufacturing Co. Pvt. Ltd., Karnataka and M/s. Prakash Plastic Industries (Madras) Pvt. Ltd., Chennai.

The subject goods under consideration are like articles to the goods originating in or exported from the subject countries. Subject goods produced by the domestic industry are being treated as Like Articles to the goods imported from the subject countries/territories within the meaning of the Rules.

4. Countries involved:

The territories/countries involved in the present Sunset Review are People's Republic of China (China PR) and Chinese Taipei (Taiwan) (referred to as subject countries hereinafter).

5. Period of Investigation:

The period of Investigation for the purpose of the present review is from 1-4-2007 to 31-3-2008. However, injury analysis shall cover the period 2004-05, 2005-06, 2006-07 and POI.

6. Procedure:

Having decided to review the Final Findings issued vide Notification No. 14/16/2002-DGAD dated 25th February, 2004 and final duty imposed vide Customs Notification No. 55/2004 dated 19th April, 2004, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of Anti-dumping duty is likely to lead to recurrence of Dumping and injury on imports of subject goods originating in or exported from subject countries in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the *Customs* Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The review covers all aspects of Notification No. 14/16/2002-DGAD dated 25th February, 2004 (Final Findings of the original investigations). The Authority proposes to consider domestic producers as mentioned in paragraph 3 above as domestic industry in accordance with the Rules supra as they constitute the major proportion of the production of the subject goods in India.

7. Submission of Information:

The exporters in subject countries, the Governments of subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address :

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
The Directorate General of Anti-Dumping
andAllied Duties
Department of Commerce
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110107.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit :

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

9. Submission of information on Non-confidential basis :

In terms of Rule 7 the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason thereof is required to be provided.

10. Inspection of public file :

Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6 (7). In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.